


आर्थिक ऐन, २०७७



जहदा गाउँपालिका
मभारे, मोरङ्ग

जहदा गाउपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः जहदा गाउपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम जहदा गाउ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७७” रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०७७ साल श्रावण १ गते देखि जहदा गाउपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
२. सम्पत्ति कर : गाउपालिका क्षेत्र भित्र अनुसूची (१) बमोजिम सम्पत्ति लगाइने र असुल गरिने छ ।
३. भूमि कर (मालपोत) : गाउपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
४. घर जग्गा बहाल कर: गाउपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।
५. व्यवसाय कर: गाउपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
६. जडिबुटि, कवाडी र जिवजन्तु कर : गाउपालिका क्षेत्रभित्रका कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिंग, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूची (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिने छ ।
७. सवारी साधन कर: प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ को दफा २ बमोजिम गाउपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका टाँगा, रिक्शा, अटो रिक्शा, विद्युतिय रिक्शा (ई रिक्शा), पावर ट्रिलरहरु (सवारी साधन) मा अनुसूची (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । यसरी असूल उपर भई संकलित रकम स्थानिय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी जम्मा भएको कुल रकम मध्य ४० प्र.श. रकम स्थानिय सञ्चित कोषमा दाखिला गरी बाँकी ६० प्र.श. रकम तोकिए बमोजिम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने छ ।
८. विज्ञापन कर: गाउपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची(७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
९. मनोरन्जन कर: गाउपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची(८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१०. बहाल बिटौरी शुल्क : गाउपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण रेखदेख वा संचालन गरेका हाट वजार पसल वा सरकारी जग्गामा अनुसूचि -९) मा उल्लेख भए अनुसार बहालबिटौरी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।
११. पार्किंग शुल्क : गाउपालिका क्षेत्र भित्र कुनै सवारी साधन लाई पार्किंग सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची (१०) बमोजिम पार्किंग शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।
१२. सेवा शुल्क, दस्तुर : गाउपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची(११) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने छ ।
१३. कर छुट: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन तर कोभिड १९ कोरोना भाइरस महामारीको प्रत्यक्ष असर परेका कुनै व्यवसाय भएमा लकडाउनको अवधिभरको निमित्त गाउपालिकाले लगाउने करको जरिवानामा छुट दिइनेछ ।
१४. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउ कार्यपालिकाले तोके अनुसार हुने छ ।

अनुसुची १

सम्पति कर

(ऐनको दफा २ सँग सम्बन्धित)

यस गाउपालिका क्षेत्रमा रहेको जग्गाको मुल्याङ्कन देहाय बमोजिमको हुने छ ।

| जहदा गाउपालिका भन्नाका जग्गाहरूको मुल्याङ्कन दर | | पारीत दर |
|---|---|----------|
| १ | सा वक बुधनगर गा व स वडा नं २, ६, ७, ८, ९ हाल वडा नं १ भन्नाका जग्गा | |
| क | बुधनगर चौकमा पच रोडले छोएको दाया वायाको जग्गाहरू प्रति वर्ग मटर | १४००.०० |
| ख | पच सडक सँग जो डएका दायाँ बायाँका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ११००.०० |
| ग | वडाहरूका सडक दायाँ बायाँ तथा ग्राभेल सडकसँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ८५०.०० |
| घ | वडाका भन्ना (कच्ची) सडकसँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ५००.०० |
| ङ | प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका बाहेक सम्पूर्ण जग्गा प्रति वर्ग मटर | २५०.०० |
| २ | सा वक भा थगछ गा व स वडा नं ५, ६, ८, ९ हाल वडा नं २ भन्नाका जग्गा | |
| क | वडाको पक्कि मुल सडक दायाँ बायाँ जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | २२००.०० |
| ख | वडाहरूका सडक दायाँ बायाँ तथा ग्राभेल सडकसँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | १४००.०० |
| ग | प्रकरण क र ख मा परेका बाहेक भन्ना (कच्ची) सडकसँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ४००.०० |
| घ | प्रकरण क, ख र ग मा परेका बाहेक सम्पूर्ण जग्गा प्रति वर्ग मटर | १७५.०० |
| ३ | सा वक भा थगछ गा व स वडा नं १, २, ३, ४, ७ हाल वडा नं ३ भन्नाका जग्गा | |
| क | जयरामपुर राधाकृष्ण मन्दिर दे ख गा पा जोड्ने मुल पक्कि सडक दाया वाया जो डएको जग्गा | २२००.०० |
| ख | भा थगछ चौक वडा कार्यालयको छेउछाउ र वडाको मुल सडक दायाँ बायाँ जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | १४००.०० |
| ग | वडाको ग्राभेल सडक दायाँ बायाँ जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ८५०.०० |
| घ | प्रकरण क र ख मा परेका बाहेक भन्ना (कच्ची) सडकसँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ४००.०० |
| ङ | प्रकरण क, ख र ग मा परेका बाहेक सम्पूर्ण जग्गा प्रति वर्ग मटर | १७५.०० |
| ४ | सा वक शशवनी जहदा गा व स वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ हाल वडा नं ४ भन्नाका जग्गा | |
| क | वराटनगर रंगेली रोडले छुने पच सडकसँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ५५००.०० |
| ख | वडाका सहायक पच सडकसँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | २२००.०० |
| ग | वडाका मुल सडक दायाँ बायाँ तथा ग्राभेल सडकसँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ८००.०० |
| घ | प्रकरण क, ख र ग मा परेका बाहेक (कच्ची) सडकसँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ३५०.०० |
| ङ | प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका बाहेक सम्पूर्ण जग्गा प्रति वर्ग मटर | १२५.०० |
| ५ | सा वक मझारे गा व स वडा नं १, २, ३, ४, ५ र शशवनी जहदा गा व स वडा नं ९ हाल वडा नं ५ | |

| | | |
|---|---|---------|
| | भत्रका जग्गा | |
| क | लोहन्द्रा पुल दे ख लक्ष्मिनिया चौक हुँदै कृष्ण मोहरको घर सम्म पक्क सडक दाया वाया जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ५५००.०० |
| ख | प्रकरण क वाहेकका पक्क सडक दाया वाया जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | २९००.०० |
| ग | वडाका सडक दायाँ बायाँ ग्राभेल सडक सँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | १४००.०० |
| घ | प्रकरण क मा परेका बाहेक भत्री (कच्ची) सडकसँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | १०००.०० |
| ङ | प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका बाहेक सम्पूर्ण जग्गा प्रति वर्ग मटर | २७५.०० |
| ६ | सा वक पोखरीया गा व स का सबै वडा हाल वडा नं ६ भत्रका जग्गा | |
| क | वडाका मुल पक्क सडक दायाँ बायाँ सँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | १४००.०० |
| ग | प्रकरण क वाहेकका वडाका सडक दायाँ बायाँ ग्राभेल सडक सँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ७००.०० |
| ख | प्रकरण क र ख मा परेका बाहेक भत्री (कच्ची) सडकसँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | २००.०० |
| घ | प्रकरण क, ख र ग मा परेका बाहेक सम्पूर्ण जग्गा प्रति वर्ग मटर | १००.०० |
| ७ | सा वक मझारे गा व स वडा नं ६, ७, ८, ९ हाल वडा नं ७ भत्रका जग्गा | |
| क | वडाका मुल पक्क सडक दायाँ बायाँ सँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ६००.०० |
| ग | प्रकरण क वाहेकका वडाका सडक दायाँ बायाँ ग्राभेल सडक सँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | ४५०.०० |
| ख | प्रकरण क र ख मा परेका बाहेक भत्री (कच्ची) सडकसँग जो डएका जग्गा प्रति वर्ग मटर | २००.०० |
| घ | प्रकरण क, ख र ग मा परेका बाहेक सम्पूर्ण जग्गा प्रति वर्ग मटर | १००.०० |
| ङ | डनवस्को स्कुल (स र्स्या टोल) छेउछाउ मुल सडकसँग जो डएको जग्गा प्रति वर्ग मटर | ८५०.०० |

नोट: मूल्यांकनका उपरोक्त दफा दफामा उल्लेख भएका व भन्न सडक तथा बाटोसँग जो डएका जग्गाहरु उल्लेखत सडक तथा बाटोको १५० फट बाहिर वा टाढा पर्ने भएमा सो जग्गामा १५० फट लम्बाई घटाई बाँकी रहेको जग्गालाई सडक सँग नजो डएको जग्गा बराबर मुल्यांकन गरिने छ ।

यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्र निर्माण भएको घरको मूल्यांकन देहाय बमोजिमको हुने छ ।

| सि. नं. | विवरण | मुल्यांकन रकम |
|---------|--|------------------|
| १ | आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर मा आर सि सि ढलान रु. | १२००।०० प्र व फु |
| २ | आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर मा जस्ता छाना रु. | ९००।०० प्र व फु |
| ३ | इट्टा र सिमेण्ट जोडाई मा आर सि सि ढलान रु. | ७००।०० प्र व फु |
| ४ | इट्टा र सिमेण्ट जोडाई मा जस्ता छाना रु. | ५००।०० प्र व फु |
| ५ | गा.र सिमेण्ट जोडाई मा आर सि सि ढलान रु. | ६००।०० प्र व फु |
| ६ | गा.र सिमेण्ट जोडाई मा जस्ता छाना रु. | ४००।०० प्र व फु |
| ७ | इट्टा र माटोको जोडाईमा आर सि सि ढलान रु. | ३००।०० प्र व फु |

| | | |
|----|---------------------------------------|------------------|
| ८ | इटा र माटोको जोडाईमा जस्ता छाना रु. | २००।०० प्र व फु |
| ९ | गा.र माटोको जोडाईमा आर सि सि ढलान रु. | २५०।०० प्र व फु |
| १० | गा.र माटोको जोडाईमा जस्ता छाना रु. | १५०।०० प्र व फु |
| ११ | गोठ, टहरा तथा भुप्री रु. | एकमुष्ठ २५०००।०० |

नोट पूर्ण व्यवसायीक घरमा उपरोक्त मूल्यांकित रकममा १० प्रतिशत थप लाग्नेछ । घरको मूल्यांकनमा ह्रास कट्टि वापत ५ प्रतिशत प्रति वर्ष कट्टा गरिने छ ।

उपरोक्त बमोजिम घर तथा सो घरले चर्चेको जग्गाको मूल्यांकन जोड जम्मा गरी सो मा घरको ह्रास कट्टि गरी कायम हुन आउने रकममा देहाय बमोजिम सम्पति कर लाग्नेछ ।

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------|----------|
| | १ लाख सम्म | ५०।०० |
| | १ लाख १ देखि ३ लाख सम्म | १००।०० |
| | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १५०।०० |
| | ५ लाख १ देखि ७ लाख सम्म | २००।०० |
| | ७लाख १देखि १० लाख सम्म | २५०।०० |
| | १० लाख १ देखि १५ लाख सम्म | ४००।०० |
| | १५ लाख १ देखि २५ लाख सम्म | १०००।०० |
| | २५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म | ५०००।०० |
| | ५० लाख १देखि १ करोड सम्म | ८०००।०० |
| | १ करोड १ देखि २ करोड सम्म | १७०००।०० |
| | २ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | २५०००।०० |
| | ५ करोड १ देखि माथि | ३५०००।०० |

अनुसूची २
भूमिकर (मालपोत) दरहरु

(ऐनको दफा ३ सँग सम्बन्धित)

| क्र सं | राजशुका क्षेत्रहरु | एकाइ | आगामी आ व २०७७/०७८ को पारीत दरहरु | | | कै फयत |
|--------|--------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------|
| १ | मालपोत | | व्यवसायीक जग्गा | आवासीय जग्गा | कृषयोग्य जग्गा | |
| १.१ | अब्बल | प्र क | ६० | ५० | ३५ | |
| १.२ | दोयम | प्र क | ४५ | ३५ | २५ | |
| १.३ | सम | प्र क | ० | ० | २० | |
| १.४ | चहार | प्र क | ० | ० | १५ | |

अनुसुची ३
घर जग्गा बहाल कर
(ऐनको दफा ५ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|--|------------|
| १ | -यस क्षेत्र भित्रको घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम टहरा, सेड, छप्पर) काराखाना जग्गा, मेशिनरी सामान, हेभि इक्विपमेण्ट, औजार, पोखरी पुरै वा आंसीक रुपमा बहालमा दिएकोमा सम्बन्धित धनीबाट सम्भौता बमोजिमको बहाल रकमको (सम्भौता रकम तथा धनिले बुझ्ने रकममा फरक भएमा अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना गाउपालीकाले तोके बमोजिम हुनेछ) | १० प्रतिशत |

अनुसूची ४
व्यवसाय कर

(ऐनको दफा ६ सँग सम्बन्धित)

पूँजिको आधारमा

क) व्यापारिक बस्तुहरु मदिरा सँग सम्बन्धित बस्तुहरुको व्यापार व्यवसाय

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------|----------|
| | ५ लाख सम्म | १०००१०० |
| | ५ लाख १ देखि २५ लाख सम्म | २०००१०० |
| | २५ लाख १देखि १ करोड सम्म | ५०००१०० |
| | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | १५०००१०० |
| | ५ करोड १ देखि माथि | ३००००१०० |

ख) क्यामेरा, टेलिभिजन, कम्प्युटर, मोवाइल लगायतका विद्युतिय सामाग्री, कम्प्युटर सामाग्री

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------|----------|
| | ५ लाख सम्म | १०००१०० |
| | ५ लाख १ देखि २५ लाख सम्म | १५००१०० |
| | २५ लाख १देखि १ करोड सम्म | ५०००१०० |
| | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ७०००१०० |
| | ५ करोड १ देखि माथि | १५०००१०० |

ग) ट्याक्टर विक्रि, कार जिप, अटोमोवाइल्स, मोटरपार्टस, मिल, मेशिनरी आदी

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------|----------|
| | ५ लाख सम्म | १०००१०० |
| | ५ लाख १ देखि २५ लाख सम्म | २०००१०० |
| | २५ लाख १देखि १ करोड सम्म | ५०००१०० |
| | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | १००००१०० |
| | ५ करोड १ देखि माथि | २५०००१०० |

घ) किताब, कापी, तथा स्टेशनरी सँग सम्बन्धित व्यवसाय, औषधि पसल , किराना पसल (फुटकर विक्रेता)

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------|---------|
| | ५ लाख सम्म | १०००१०० |
| | ५ लाख १ देखि २५ लाख सम्म | २०००१०० |
| | २५ लाख १देखि १ करोड सम्म | ५०००१०० |
| | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ७०००१०० |

| | |
|--------------------|----------|
| ५ करोड १ देखि माथि | १५०००१०० |
|--------------------|----------|

ड) कृषि सँग सम्बन्धित व्यवसायको हकमा -खाद्यान्न खरिद विक्रि(काँटा व्यवसाय), जुट, कृषि फार्म, गाई पालन, सुंगुर पालन, बाखा पालन, व्यवसाय आदी । कृषि सामग्री, औजार, मल, विउ, गाईदाना, चोकर, कुखुरा दाना, पशुपंक्षि आहार)

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|--------------------------|---------|
| | १ लाख सम्म | ७००१०० |
| | १ लाख १ देखि ३ लाख सम्म | १०००१०० |
| | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १५००१०० |
| | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | २५००१०० |
| | २० लाख १ देखि माथि | ५०००१०० |

च) शिशा, फ्रेमिंग, सजावटका सामान र जनरल गुड्स

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------|-------|
| १ | १ लाख सम्म | ५०० |
| २ | १ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ७०० |
| ३ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १००० |
| ४ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १५०० |
| ५ | २० लाख १ देखि माथी | ३००० |

छ) सुति कपडा रेडिमेड कपडा आदि ब्यावसाय

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------|-------|
| १ | ३ लाख सम्म | ७०० |
| २ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १००० |
| ३ | ५ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | १५०० |
| ४ | १५ लाख १ देखि ३० लाख सम्म | २५०० |
| ५ | ३० लाख १देखि १ करोड सम्म | ४००० |
| ६ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | १०००० |
| ७ | ५ करोड भन्दा माथी | २०००० |

ज) विशेषज्ञ परामर्श तथा ब्यावसायिक सेवा :

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|------------------------------------|-------|
| १ | एम.डि डाक्टर | २५०० |
| २ | एम.वि.वि.एस/पशु डाक्टर | १५०० |
| ३ | पशु सहायक | ७०० |
| ४ | कविराज होमियोपेथिक आयुर्वेद डाक्टर | ७०० |

| | | |
|----|----------------------------------|------|
| ५ | सर्जिकल समान खुद्रालाई | २५०० |
| ६ | औषधि पसल थोकलाई | २००० |
| ७ | सर्जिकल सामान थोकलाई | १००० |
| ८ | भिडियो एक्सरे | ५०० |
| ९ | औषधि पसल खुद्रालाई | १३०० |
| ९ | कविराज होमियोपेथिक आयुर्वेद अहेव | ५०० |
| १० | शारीरिक व्यायाम सामाग्री विक्रि | १००० |

ख) टेलिचलचित्र, वृत्तचित्र निर्माण परामर्श सेवा अनुसन्धान तथा परामर्स दाता, अनुवादक, छापाखाना प्रेस स्क्रिन प्रिन्ट आदी)

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------|-------|
| १ | ३ लाख रुपिया सम्म | १००० |
| २ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १५०० |
| ३ | ५ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | २००० |
| ४ | १५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | २५०० |
| ५ | २० लाख १देखि १ करोड सम्म | ३००० |
| ६ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ३५०० |
| ७ | ५ करोड भन्दा माथी | ७००० |

ग) केवल, इन्टरनेट, डिसहोम नेटवर्क तर्फ

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|----------------------------------|------------------|
| १ | ५०० ग्राहक सम्म | ३००० |
| २ | ५०१ देखि १००० ग्राहक भएको | ५००० |
| ३ | १००१ भन्दा माथी ग्राहक भएको हकमा | प्र. ग्राहक रु.५ |

घ) कानून व्यवसायी

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|------------------|-------|
| १ | वरिष्ठ अधिवक्ता | २००० |
| २ | अधिवक्ता | १५०० |
| ३ | अभिवक्ता | १००० |
| ४ | लेखापढि व्यवसायी | ५०० |

ड) लेखापरिक्षक

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|----------|-------|
| १ | श्रेणी क | ३००० |

| | | |
|---|----------|------|
| २ | श्रेणी ख | १००० |
| ३ | श्रेणी ग | ७०० |
| ४ | श्रेणी घ | ५०० |

च) अन्य सेवा वा फर्म

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|--------------------|-------|
| १ | विमा एजेन्ट विदेश | ५००० |
| २ | विमा एजेन्ट स्वदेश | २००० |
| ३ | विज्ञापन एजेन्सी | ३००० |
| ४ | शेयर दलाल | १५००० |

छ) निर्माण व्यावसायी

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|--|-------|
| १ | श्रेणी क | ७००० |
| २ | श्रेणी ख | ५००० |
| ३ | श्रेणी ग | ३००० |
| ४ | श्रेणी घ | २५०० |
| ५ | गा.पा.भिन्न सूचिकृत भएका व्यक्ति तथा फर्महरु | २५०० |

नोट गा.पा. मा सूचिकृत नभई घर निर्माणको ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

ज) कुटानी पिसानी व्यावसायीको हकमा

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------------------|-------|
| १ | कुटानी तथा पिसानी मात्र | ६०० |
| २ | कुटानी पिसानी पेलानी | १००० |
| ३ | कुटानी पिसानी पेलानी तथा चिउरा समेत | १५०० |
| ४ | कुटानी पिसानी पेलानी चिउरा मसला वेसार | २००० |
| ५ | कुटानी पिसानी पेलानी तथा विक्रि वितरण | २५०० |

उत्पादन मुलक उद्योग अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गई रहेको माल वा अन्य सामानको प्रयोग र प्रशोधन गरी मालसामान उत्पादन गर्ने व्यवसाय जस्तै खेर गई रहेको प्लास्टिकबाट सामान निर्माण गर्ने र फोहोरबाट मल निर्माण गर्ने व्यवसायको हकमा निशुल्क व्यवसाय दर्ता गरी अभिलेखीकरण गरिनेछ र यस प्रकारका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

पर्यटन सेवा व्यवसाय

आवास, लज, होटेल फाष्टफुड रेष्टुरा रीसोर्ट ट्राभल्स एजेन्सी स्विमिङ पुल

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|--|-------|
| १ | सानो ग्रामिण स्तर चिया पसल वा ५० हजार लगानी भएको होटेल | ३०० |

| | | |
|---|--------------------------|------|
| २ | ५० हजार देखि १ लाख सम्म | ५०० |
| ३ | १ लाख देखि २ लाख सम्म | ८०० |
| ४ | २ लाख देखि ५ लाख सम्म | १००० |
| ५ | ५ लाख देखि २० लाख सम | १५०० |
| ६ | २० लाख देखि माथी | २५०० |
| ७ | रिसोर्ट हरुको हकमा थप रु | ३००० |

संचार सेवा एफ.एम समेत

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|-------------------------------|-------|
| १ | १ लाख सम्म | ५०० |
| २ | १ लाख देखि २ लाख ५० हजार सम्म | ८०० |
| ३ | २ लाख ५० हजार भन्दा माथी | १००० |
| ४ | एफ.एम रेडियो प्रसारण | २००० |

मोबाइल टावरको हकमा क्षमता र आकार बमोजिम सम्बन्धित कम्पनि सँग वार्ता गरी प्रति टावरका दरले शुल्क लाग्नेछ ।

वित्तीय सेवा

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---|-------|
| १ | निजि क्षेत्र द्वारा संचालित वाणिज्य बैंक विदेशि विमा कम्पनि | १५००० |
| २ | विकास बैंक | १०००० |
| ३ | वित्तीय कम्पनिको मुख्य कार्यालय । विमा कम्पनि | १०००० |
| ४ | मनि ट्रान्सफर । लघुवित्त कम्पनि | ३००० |
| ५ | १ करोड सम्म कारोवार भएका सहकारी | २००० |
| ६ | १ करोड देखि ३ करोड सम्म कारोवार भएका सहकारी | ५००० |
| ७ | ३ करोड देखि ५ करोड सम्म कारोवार भएका सहकारी | ७००० |
| ८ | ५ करोड देखि माथी कारोवार भएका सहकारी | १०००० |

नोट बचत तथा ऋणको कारोवार नगरी पुर्णतया कृषिमा आधारित सहकारीका हकमा वार्षिक शुल्क लिइने छैन ।

स्वास्थ्य सेवा । शिक्षा सेवा गैर सरकारी अस्पताल नरसिंह होम, क्लिनिक तथा ल्यावहरु ल्यायत स्वास्थ्य सेवा सँग सम्बन्धित व्यवसायहरु र संस्थागत विद्यालयहरु

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------|-------|
| १ | ५ लाख सम्मको लागी | २५०० |
| २ | ५ लाख देखि २० लाख सम्मको | ५००० |
| ३ | २० लाख देखि १ करोड सम्मको | १५००० |
| ४ | १ करोड देखि ५ करोड सम्मको | ३०००० |
| ५ | ५ करोड देखि माथी | ५०००० |

| | | |
|---|---|------|
| ६ | संस्थागत विद्यालय स्तरबृद्धि स्विकृति प्रति कक्षा | २००० |
|---|---|------|

तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरु

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|--|-------|
| १ | तालिम तथा अनुसन्धान , कम्प्युटर टाईपिङ्ग लगायत फोटोकपी समेत संचालन भई काम गर्ने हरुको हकमा कम्प्युटर तथा प्रशिक्षण ,निजि क्षेत्र वाट दिईने शिक्षा तथा कोचिङ्ग सेन्टर आदि । | १५०० |

मर्मत सेवा

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---|-------|
| १ | टेक्टर, वस, ट्रक, ह्यावि ईक्वीमेन्ट कार, जिप सवारी डेन्टिड मोटर पार्टस मिल मेसिनरी टायर रीसोलिङ्ग डाईनामाईट | २५०० |
| २ | मोटरसाईकल | १००० |
| ३ | रेडियो, घडि, टि.भि, आदी ईलेक्ट्रोनिक सामान | १००० |
| ४ | ग्यास चुलो सेल्स पम्प टायर पम्प पञ्चर ग्यास विलडिड वक्सा मर्मत गर्ने साईकल रीक्सा लुगा सिउने मेसिन अन्य फोटोकपि ब्याग | ५०० |

अन्य सेवा

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---|---------|
| १ | बैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्था, हाउजिङ्ग कम्पनि | २५००० |
| २ | उद्योग संघसंस्था आदिमा स्वदेशको लागी जनशक्ति सप्लाई गर्ने | २५०० |
| ३ | कलर ल्याब | १००० |
| ४ | घरजग्गा खरीद विक्रि | १५००० |
| ५ | विज्ञापन सेवा फोटो स्टुडियो | १००० |
| ६ | ब्युटिपार्लर,केशश्रृगार साईन बोर्ड पेन्टीङ्ग सैलुन नर्सरी | ५०० |
| ७ | मासु -खसि,कुखुरा,रागा,वंगुर आदी) खुद्रा विक्रेता | १००० |
| ८ | मासु -खसि,कुखुरा,रागा,वंगुर आदी) थोक विक्रेता | १५०० |
| ९ | पंचेवाजा | निशुल्क |
| १० | वेण्डवाजा | १००० |
| ११ | सित भण्डार | ५००० |
| १२ | टेण्ट हाउस | ३००० |
| १३ | हाफ क्याटरीङ्ग | २००० |

| | | |
|----|--|-----------------------------------|
| १४ | साईवर क्याफे | १५०० |
| १५ | एग्रोभेट | १००० |
| १६ | कवाडी पसल थोक | ५००० |
| १७ | कवाडी पसल खुद्रा | २५०० |
| १८ | ढुवानी सेवा शाखा भएका | ३५०० |
| १९ | ढुवानी सेवा शाखा नभएका | २५०० |
| २० | खानामात्र विक्रि होटेल | १५०० |
| २१ | सेटरिड व्यवसाय | २५०० |
| २२ | १ मेशिन राखी कपडा सिलाई गर्ने | ५०० थप एक मेशिन वरावर १०० |
| २३ | पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पम्प | न्युनतम ११००० प्रति मेशिन थप ३००० |
| २४ | ग्यास विक्रि डिलर | १००० |
| २५ | भाडा वर्तन, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, मनहारी हेल्थकेयर कृतिम गहना,फेन्सी समेत खुद्रा विक्रेता | १२०० |
| २६ | भाडा वर्तन, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, मनहारी हेल्थकेयर कृतिम गहना,फेन्सी समेत थोक विक्रेता | १५०० |
| २७ | डिपार्टमेन्टल स्टोर, रेष्टुरेण्ट बेकरी सहितको | १५००० |
| २८ | डिपार्टमेन्टल स्टोर | १०००० |
| २९ | सुन, चाँदीको गहना पसल | ७००० |
| ३० | चाँदीको गहना पसल | ४००० |

उद्योग चक उद्योग, दाना उद्योग, फिनेल उद्योग, निर उद्योग, औषधि उद्योग, उत्पादन मुलक उद्योगको डिपो, सौर्य उर्जा उत्पादन मिश्रि चकलेट उद्योग, पापड चिप्स उद्योग पाउरोटी उद्योग वरफ उत्पादन भुल तथा पर्दा उत्पादन तारजाली उत्पादन गर्ने नानोकन उद्योग काष्ट उद्योग डरी उत्पादन चिनि उद्योग डब्बा वाल्टीन आदी बनाउने उद्योग निर्माण उद्योग खनिज उद्योग सेलर तथा उर्जा मुलक उद्योग लगायतका उद्योगहरुको हकमा ।

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------|-------|
| १ | ३ लाख सम्म | ५०० |
| २ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १००० |
| ३ | ५ लाख १देखि १० लाख सम्म | १२०० |
| ४ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १५०० |
| ५ | २० लाख १देखि १ करोड सम्म | ३००० |
| ६ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | १०००० |
| ७ | ५ करोड भन्दा माथी | २०००० |

गिऱ उद्योग

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------|-------|
| १ | १ लाख सम्म | ५०० |
| २ | २ लाख १ देखि ३ लाख सम्म | १००० |
| ३ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १५०० |
| ४ | ५ लाख १देखि १० लाख सम्म | २००० |
| ५ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | ५००० |
| ६ | २० लाख देखि माथी | ८००० |

माथि उल्लेखित व्यवसायको हकमा अन्य निकायलाई गरीने सिफारीस वापतको दस्तुर थप लाग्ने छ । उल्लेखित सिफारीस वापतको दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ । माथी उल्लेखित नभएका अन्य उद्योग हरुका हकमा गाउँसभाले पारीत गरेका दररेटहरु लाई नै मान्यता दिईने छ ।

वर्गिकरण नखुलेका व्यवसायहरु

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|------------------------------|-------|
| १ | आलु हरीयो तरकारी थोक विक्रि | ७०० |
| २ | खुद्रा तरकारी फलफ'ल पान पसल | ३०० |
| ३ | माछा मार्ने पेशेवर (व्यवसाय) | १००० |
| ४ | माछा मार्ने व्यवसाय (साधारण) | ५०० |

नोट:-

- माथि उल्लिखित किसिम, उपरोक्त शिर्षकमा नपरेको व्यवसाय र उद्योगको किसिम हेरी माथिको करको दरमा नघट्ने गरी वार्षिक कर लिई व्यवसाय प्रमाण पत्र दिइने छ ।
- गाउँपालिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका फर्म, पसल, उद्योग आदीलाई बन्द गर्नु पर्दा आवश्यकता अनुसार निरिक्षण गरी विगत वर्षको लाग्ने बक्यौता दस्तुर जरिवाना समेत असुल गरी व्यवसाय बन्द सिफारिश दिइने छ र सो को लगत अद्यावधिक राखिने छ ।
- व्यवसायीक फर्म नामसारी गर्दा रु.१०००।०० शुल्क लाग्ने छ ।
- व्यवसायको किसिम निर्धारण गर्न आवश्यक भएमा सम्बन्धित नेपाल सरकारको निकायको कारोवार प्रमाणित विवरण माग गर्न सकिने छ र तोकिएको कर्मचारीबाट निरिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा कर निर्धारण गरिने छ ।
- गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, भाडा आदी राजश्व बाँकी रहेमा गाउँपालिका बाट प्रदान गरिने सिफारिश लगायतका सेवाहरु बट बञ्चित गरिने छ ।
- माथि उल्लेख हुन छुट भएका करहरुको हकमा ऐन तथा नियमावलिले तोकेको सिमा परिधि भित्र रही गाउँपालिकाले वेला वेलामा सूचना जारी गरी वा आई परेका वेला तोके बमोजिम हुने छ ।
- कर बक्यौतामा पहिलो एक वर्षको लागि १० प्रतिशत, दोश्रो वर्षको लागि १५ प्रतिशत र यस भन्दा बढी अवधिको २५ प्रतिशत दण्ड जरिवाना लाग्नेछ ।
- व्यवसाय थप गर्न आएमा सम्बन्धित व्यवसाय वापत लाग्ने करको ६०% थप गरी राजश्व असुल गरिने छ ।

अनुसूची ५
जडिबुटी, कवाडी र जिवजन्तु करका दरहरु

(ऐनको दफा ७ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---------------------------|-------|
| १ | १ लाख सम्म | ३०० |
| २ | २ लाख १ देखि ३ लाख सम्म | ५०० |
| ३ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ८०० |
| ४ | ५ लाख १देखि १० लाख सम्म | १००० |
| ५ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | ३००० |
| ६ | २० लाख देखि माथी | ५००० |

अनुसूची ६

सवारी साधन कर

(ऐनको दफा ८ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं | विवरण | पारीत |
|--------|---|-------|
| १ | अटो रिक्सा र इ रिक्सा | १५०० |
| २ | टाँगा, रिक्शा, ठेलागाडी | ५०० |
| ३ | माथि उल्लेख भए बाहेकको सवारी साधनमा प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम हुने | |

नोट : ई-रिक्शाको हकमा ५०% छुट हुनेछ ।

अनुसूची ७

विज्ञापन कर

(ऐनको दफा ९ सँग सम्बन्धित)

| सि.नं. | विवरण | पारित | |
|--------|--|-----------|----------------|
| | | नीजि स्थल | सार्वजनिक स्थल |
| १ | हुलाकी राजमार्ग रंगेली रोड स्थानमा प्रति वर्ग फिट | २० | ३० |
| २ | बजार क्षेत्रका सडकहरुमा प्रति वर्ग फिट | १५ | १५ |
| ३ | व्यवसायिक व्यानर प्रति हप्ता | १५० | २०० |
| ४ | व्यवसायिक प्रचार प्रसार गाडीबाट माइकिड प्रतिदिन | १०० | |
| ५ | व्यवसायिक प्रचार प्रसार रिक्साबाट माइकिड | २० | |
| ६ | व्यवसायीक पोस्टर प्रति हप्ता | २५ | १०० |

माथि वर्गिकरण गरिए वमोजिम प्रचार बोर्ड राख्न स्विकृति दिंदा बोर्ड राख्न खोजिएको स्थल सार्वजनिक भएमा वा सडक मापदण्ड भित्र पर्ने भएमा सार्वजनिक र सो जग्गा नीजि भएमा वा सडक मापदण्ड भित्र नपर्ने भएमा नीजि मानी सोहि वमोजिम कर दस्तुर लगाईनेछ साथै स्थानिय व्यवसायीले वनाएको विज्ञापन बोर्डमा कर लिइने छैन । न.पा. सँग सम्भौता भई स्विकृत शर्तहरुको अधिनमा रही व्यवसायीक बोर्ड हरु लगाउनु पर्नेछ । धुम्रपान, मद्यपान, सुर्ति सेवन आदी जस्ता अस्वस्थकर वस्तुहरुको व्यवसायीक बोर्डहरु लगाउन निषेध गरिएको छ । सडकको एक छेउबाट अर्को छेउ सम्म व्यानर टाँगेर राख्न पाइने छैन । सडक खनेर विच बाटोमा गेट वनाउन पाइने छैन । जनहितमा जारी गरिएका चेतनामुलक प्रचार प्रसारका विज्ञापनहरु निशुल्क गरिएको छ ।

अनुसूची ८

मनोरञ्जन कर
(ऐनको दफा १० सँग सम्बन्धित)

| सि.न. | मनोरञ्जनका साधन | परित करका दरहरु (रु.) |
|-------|--|-----------------------|
| १ | - सिनेमा हल, सांस्कृतिक प्रदर्शन स्थल, थियटर संगीत तथा मनोरञ्जन प्रदर्शन स्थलको प्रवेश शुल्कमा | प्रति टिकट रु.११५० |
| २ | - जादु सर्कस, चटक आदीमा प्रतिदिन | १००० |
| ३ | - फन पार्क, वाटर पार्क | प्रति टिकट रु.११५० |

अनुसूची ९

बहालविटौरी शुल्क

(ऐनको दफा ११ सँग सम्बन्धित)

दैनिक गुद्रि हाटबजार साप्ताहिक हाटबजारमा बहाल विटौरी कर

| क्र.सं | विषय | विवरण | पारीत |
|--------|---|--|-------|
| १ | माछा, मासु विक्रि सम्बन्धित | खसि बोका काटी विक्रि गर्ने पसल | ५० |
| | | सुंगुर बंगुर काटी विक्रि गर्ने पसल | ५० |
| | | राँगा काटी विक्रि गर्ने पसल | ८० |
| | | माछा विक्रि गर्ने पसल | ४० |
| २ | कपडा तथा जुत्ता चप्पलसँग सम्बन्धित व्यवसायमा | रेडिमेड सामान र थान कपडा विक्रि गर्ने पसल | ३० |
| | | जुत्ता चप्पल विक्रि गर्ने पसल सानो | २५ |
| | | जुत्ता चप्पल विक्रि गर्ने पसल ठुलो | २० |
| | | जुत्ता चप्पल विक्रि सिलाई गर्ने पसल | १० |
| ३ | तरकारी तथा फलफुसँग सम्बन्धित व्यवसायमा | फलफुल नास्ता ठेलामा राखी विक्रि गर्ने | १० |
| | | साग सब्जि डोकामा वा डालामा राखी विक्रि गर्ने | १० |
| | | लसुन प्याज खोर्सानि आदी बेच्ने | २० |
| | | भारमा सब्जि बेच्ने | १० |
| | | सिजन अनुसारको साग सब्जि आलु पसल ठुलो | २० |
| | | सिजन अनुसारको साग सब्जि आलु पसल सानो | १५ |
| | | फलफुल साग सब्जि प्रति गाडा | २० |
| | | फलफुल साग सब्जि प्रति वोरा र अन्य साना | १० |
| | | फलफुल पसलमा | |
| | | तरकारीको विउविजन | २० |
| ४ | खाद्यान्नसँग सम्बन्धित | चामल दाल अदुवा लसुन खोर्सानी प्याज आदी विक्रि गर्ने पसल | २० |
| | | किराना पसल | २० |
| | | माछा मासु तरकारी एकै ठाउमा विक्रि गर्ने पसल | ४० |
| ५ | परम्परागत सिप सँग सम्बन्धित | माटाका भाडा बेच्ने पसल ठुलो | २५ |
| | | माटाका भाडा बेच्ने पसल सानो | १५ |

| | | | |
|---|--------------------------------|--|-----|
| | व्यवसाय | कुचो कुनिया नाम्लो बेच्ने पसल | १० |
| | | जडिबुटी राखी विक्रि गर्ने पसल | १५ |
| | | कपाल दारी काटने पसल् | १५ |
| ६ | पशुर्पक्ष विक्रि सँग सम्बन्धित | जिउदो खसि बोका राँगा सुँगुर बंगुर बेच्नेलाई प्रति गोटा | ७५ |
| | | हाँस परेवा कुखुरा बेच्नेलाई प्रति गोटा | १० |
| ७ | अन्य व्यवसाय सँग सम्बन्धित | चुरा धागो टिका श्रृंगार मनिहारी सँग सम्बन्धित | २० |
| | | प्रचार प्रसार गरी व्यवसाय गर्ने | २० |
| | | बाँस प्रतिवयल गाडा | २५ |
| | | बाँस प्रति टुक | २०० |
| | | फलामको औजार तथा सामान बेच्ने | २५ |
| | | भाँडाकुँडा पसल | २० |
| | | माटोको भाडा आदी | १० |
| | | फोटो फ्रेमिंग | १० |
| | | मर्मत कुकर टर्च छाता आदी | १० |
| | | घेरावारा गरी जादु चटक नाच देखाउने | ५० |
| | | घेरावारा नगरी जादु चटक नाच देखाउने | १० |
| | | पिंग भुला आदी यस्तै प्रकारको खेल फलामको सामान प्रयोग गरी | १०० |
| | | पिंग भुला आदी यस्तै प्रकारको खेल काठको सामान प्रयोग गरी | २५ |
| ८ | खजा नास्ता सँग सम्बन्धित | भक्का चप प्याजी पकौडी | २० |
| | | चउचाउ मम फास्टफुड बनाउने ठेला | ३० |
| | | चिया समोसा पाउरोटी अण्डा बनाउने | ३० |
| ९ | अन्य | अन्य वर्गिकृत नभएको पसल | १५ |

अनुसूची १०

पार्किंग शुल्क

(ऐनको दफा १२ सँग सम्बन्धित)

स्वदेशी सवारी साधनमा गाउँपालीकाले लगाउने पार्किंग शुल्क

| | |
|--|--------|
| क) बस ट्रक लहरी र अन्य हेभी गाडी | रु.५० |
| ख) माइक्रो बस कार जिप र अन्य साना चार चक्के गाडी | रु.२० |
| ग) ठेला रिक्सा इ रिक्सा अटो भ्यान आदी भाडामा चलने गाडी | रु.१० |
| घ) मोटरसाइकल | रु.१० |
| ङ) विदेशी जुनसुकै चारचक्के गाडी | रु.१०० |

अनुसूची ११
सेवा शुल्क, दस्तुर
(ऐनको दफा १३ सँग सम्बन्धित)

क) मुल्यांकन सिफारिश

| सि.नं. | मुल्यांकन | परित दरहरु (रु.) | कैफियत |
|--------|---|------------------|--------|
| १ | - सम्पत्ती मुल्यांकन प्रति लाख रुपैयाको | १०० | |
| २ | - आयश्रोत प्रमाणित प्रति लाख रुपैयाको | ५०० | |

सिफारीस हरुको हकमा

| क्र.सं. | विषय | विवरण | पारीत | कैफियत |
|---------|--------------------------------|---|-------|--|
| १ | घर र जग्गा सम्बन्धि सिफारीस | अपुतालो सिफारीस दस्तुर | १५०० | एक विग्गाह भन्दा माथी प्रति विग्गाह थप रु ३०० |
| | | निवेदन दस्तुर | १० | |
| | | पक्की घर प्रमाणित | ५०० | |
| | | कच्ची घर प्रमाणित | २०० | |
| | | वसोवास प्रमाणित | २०० | |
| | | व्यावसायिक घर कोठा खोल्ने | १००० | |
| | | आवासिय घर कोठा खोल्ने घर नामसारी | ४५० | |
| | | हकभोग तथा जोतभोग र छुट दर्ता सिफारीस | ५०० | १ विग्गाह भन्दा वढिका लागी प्रति विग्गाह थप १०० |
| | | साना घरेलु उद्योगमा आगलागी सिफारीस | १००० | विमा प्रयोजनका लागी निशुल्क |
| | | मझौला उद्योगमा आगलागी सिफारीस | २०००० | विमा प्रयोजनका लागी निशुल्क |
| | | ठुला उद्योगमा आगलागी सिफारीस | ५०००० | विमा प्रयोजनका लागी निशुल्क |

| | | | |
|--|--|-----------------|---|
| | सर्वसाधारणको घर टहरा आगलागी सिफारीस | निशुल्क | |
| | नक्सापास किताब दस्तुर | १००० | |
| | संघसंस्थाको बैंक खाता खोल्दा सिफारीस | १५० | |
| | व्यवसाय प्रमाणपत्र दस्तुर | १५० | |
| | पक्की घर कायम सिफारीस वा निर्माणाधिन रहेको सिफारीस | प्रतिवर्ग फुट १ | |
| | टिनको छाना भएको कच्ची घर कायम सिफारीस | २०० | |
| | कच्ची घर सिफारीस | १०० | |
| | वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुनेको सिफारीस | निशुल्क | |
| | नम्बरी जग्गाको रुख काटने सिफारीस | ५०० | १ भन्दा वढि रुख भए प्रति रुख २०० थप |
| | सहूलियत काठको सिफारीस | १००० | दाउराको प्रयोजनको लागी भए प्रति ट्रयाक्टर रु १००० |
| | विद्युत सिफारीस | २०० | घर जग्गाको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने |

अमिन वाट गरीने सबै प्रकारका सिफारीसहरु

| क्र.सं. | विषय | विवरण | पारीत | कैफियत |
|---------|--|--------------------------------|----------------|--|
| १ | माग निवेदनको आधारमा जग्गा छुट्याउने काम | १ कटठा सम्म | २०० | घर बनाउन परीजग्गा किचलो छुट्याउनुपरेमा थप रु ५०० |
| | | १ कटठा भन्दा माथी ५ कटठा सम्म | ३०० | |
| | | ५ कटठा देखि १० कटठा सम्म | ५०० | |
| | | १० कटठा देखि २० कटठा सम्म | १००० | |
| | | १ विग्गाह देखि माथि | २००० | |
| | | जग्गा पलटिङ्ग सिफारीस | ८०० प्रति कटठा | नयाँ प्लटिङ्गको हकमा |
| २ | दुरी प्रमाणित लगाएतका अन्य अमिन सँग जोडिएका सिफारीसहरु | वैकिंड प्रयोजनका लागी | ५०० | |
| | | सर्वसाधारण सँग जोडिएका सिफारीस | १०० | |
| | | किचलो परी आएको हकमा | ५०० | |
| | | माथी उल्लेखित बाहेककोहकमा | २०० | |

उद्योग लगाएतका सिफारीसहरु

| क्र.सं. | विषय | विवरण | पारीत | कैफियत |
|---------|-------------------------|---|-------|--------|
| १ | उद्योग दर्ता सिफारीस | चाउचाउ उद्योग | १५०० | |
| | | बिष्कुट उद्योग | १५०० | |
| | | चप्पल उद्योग | १५०० | |
| | | सलाई उद्योग | १५०० | |
| | | प्लाई उद्योग | ३००० | |
| | | सस उद्योग | ३००० | |
| | | कपडा उद्योग | ६०० | |
| | | वरफ उद्योग | ६०० | |
| | | कन्फेसनरी उद्योग | २००० | |
| | | काष्ठ उद्योग | २००० | |
| | | समिल सहितको काष्ठ उद्योग | ३००० | |
| | | फर्निचर उद्योग | २००० | |
| | | ग्यारेज | १००० | |
| | | पेट्रोल पम्प | १०००० | |
| | | मट्टीतेल डिलर | २५०० | |
| | | स्टेशनरी उद्योग | २५०० | |
| | | डिस्टीलरी | ५००० | |
| | | हल्का पेय पदार्थ | २००० | |
| | | पलाष्टीक उद्योग | ३००० | |
| | | पाउरोटी उद्योग | १००० | |
| | | ग्निल उद्योग | १५०० | |
| | | गलैचा उद्योग | ५००० | |
| | | गार्मेन्ट उद्योग | ३००० | |
| | | भुजिया उद्योग | १००० | |
| | | ईट्टा उद्योग आधुनिक भट्टाजडित | ७००० | |
| | | ईट्टा तथा टायल आधुनिक यन्त्र जडान नगरेको | ५००० | |
| | | पशु आहार | ५०० | |
| | | तामा आल्मुनियम जस्ता धातु उद्योग | १००० | |
| | | प्रेस वाहेक प्रिन्टिङ | २५०० | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------|------------|
| | | जुस उद्योग | १००० | |
| | | चुरोट विडि | ५००० | |
| | | वेदवास फिर्निचर | ५०० | |
| | | लुत्रिकेन्ट उद्योग | २०००० | |
| | | माथी उल्लेखित नगरीएको उद्योगका हकमा | ६००-२००० | |
| २ | निजि शिक्षण संस्था दर्ता एवं अन्य कामका लागी सिफारीस | पुर्व प्राथामीक | ३००० | |
| | | आधारभुत | ५००० | |
| | | माध्यामीक | १०००० | |
| | | क्याम्पस | २०००० | |
| | | प्राविधिक शिक्षण संस्था | १०००० | |
| | | स्तर वृद्धि सिफारीस | ५००० | प्रति बिषय |

घर नक्सा पास दस्तुर :

| क्र.सं. | बिषय | विवरण | पारीत | कैफियत |
|---------|---------------------|--|-------|---|
| १ | घर नक्सा पास दस्तुर | १००० वर्ग फुट सम्म नक्सापास गर्दा प्रति वर्ग फुट | २ | १.पटक पटक गरी नक्सापास गर्नेका हकमा कुल क्षेत्रफलका आधारमा कुन वर्गमा पर्ने हो सो निर्धारण गरी सोही वर्गको कर लगाउने |
| | | १००१-१५०० सम्म को लागी | २।५० | २. नक्सा संसोधन गर्दा कुल वुभाउनुपर्ने दस्तुरमा थप ३०% दस्तुर लिईने छ। |
| | | १५०१ -२५०० वर्ग फुट सम्मको प्रति वर्ग फुट | ३ | ३. कायम भएको दस्तुरको ५०% धरौटी वापत गा.पा मा जम्मा गर्नुपर्ने छ। जुन निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्ष भित्र सम्बन्धित घरधनिलाई फिर्ता गरीने छ। २ वर्ष भित्र नआएमा कानुनत सदरस्याहा गरीने छ। |
| | | २५०१ -४००० सम्मको प्रति वर्ग फुट | ४ | |
| | | ४०० देखि माथी जतिसुकै भएपनि | ६ | ४. गा.पा ले तोकेको समयभित्र नक्सा पास नगराएमा तोके बमोजिम जरीवाना हुने छ। |
| | | पर्खाल प्रति रनिङ फिट | ७ | |
| | | काठको घर वा गोठ घर प्रति वर्गफुट | २ | |
| | | भुई तलामा पक्की दिवाल भई टिनको छाना भएको | ३ | |
| | | गा.पा घोषण हुनुपुर्व निर्माण भएको | | ५. आ.ब ०७४/०७५ भित्र घर नक्सा पास नगराएका गा.पा घोषणा |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------|---|
| | | घरहरुको हकमा | | हुनुपूर्वका बनेका घरहरु लाई ०७५/०७६ का लागी पारीत दस्तुरका दर लाग्ने छ, र जरीवाना वापत २५% थप दस्तुर लाग्ने छ । |
| २ | घर नक्सा नामसारी दस्तुर | १००० वर्ग फिट सम्मको घर नक्सा नामसारी | ७५० | घर जग्गा धनिको मृत्यु भई प्रचलित कानून बमोजिम एका संगोलका परीवारमा नामसारी गर्नपर्दा १००० वर्गफिट सम्मको घरमा रु ५०० सो भन्दा माथी जतीसुकै भएपनि १५०० लिईने छ । |
| | | १००१ देखि २००० वर्ग फिट सम्म | १५०० | |
| | | २००१ - ३००० सम्म | २३०० | |
| | | ३००१ - ४००० सम्म | ३००० | |
| | | ४००१ - ५००० सम्म | ४००० | |
| | | ५००० देखि माथी प्रति वर्गफिट | १ | |
| ३ | घर जग्गा निरीक्षण तथा सर्जिमनि दस्तुर | | २५० | गा.पा ले भवन संहिता लागु गरेपछि वा सो पुर्व परामर्श दाता वा छुट्टै कर्मचारीवाट नक्सा र निर्मित घरको भेरीफिकेसन संहिता पालनाका विषयमा फिल्डमा सहजिकरण गरेवापत छुट्टै तोकिएको दस्तुर लाग्ने छ । |

नोट: गा पा मा सूचकृत भएका कन्सल्टेण्ट वा ईन्जिनियर सँग वनाएको घर नक्शा मात्र घरनक्शा प्रयोजनका ला ग मान्य हुनेछ ।

अन्य दस्तुर तथा सफारिशहरु

| क्र.सं. | विवरण | पारीत | कैफियत |
|---------|--|-------|--------|
| १ | लेआउट दस्तुर | १५० | |
| २ | सार्वजनिक पुर्वाधार मर्मत दस्तुर | १०० | |
| ३ | थ्रिफेज लाईनजडान सिफारीस | ५०० | |
| ४ | खानेपानीको धारा जडान | २०० | |
| ५ | संस्था दर्ता सिफारीस | १००० | |
| ६ | सिनेमाहल खोल्ने सिफारीस | १०००० | |
| ७ | मेला सर्कस अनुमति सिफारीस | २००० | |
| ८ | नक्सापास सम्बन्धि प्रमाणपत्र प्रतिलिपि | ३०० | |
| ९ | घरको नक्साको प्रतिलिपि | ३०० | |

| | | | |
|----|-------------------------------------|-----|--|
| १० | अन्य प्रमाणपत्र | ३०० | |
| ११ | सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि | ५० | |

अन्य सिफारीसहरु

| क्र.सं. | विवरण | पारीत | कैफियत |
|---------|--|---------------------------|--------|
| १ | नाता प्रमाणित गर्ने | ३०० | |
| २ | जन्ममिति प्रमाणित गर्ने | ३०० | |
| ३ | विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित | ५०० | |
| ४ | अंग्रेजि माध्यम सिफारीस तथा प्रमाणित | ५०० | |
| ५ | वसाईसराई प्रमाणित | १५०० | |
| ६ | मृत्यु प्रमाणित | निशुल्क | |
| ७ | घरपाताल प्रमाणित | २०० | |
| ८ | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित | ४०० | |
| ९ | जिवितसँगको नाता प्रमाणित | ५०० | |
| १० | हकवाला वा हकदार प्रमाणित | ५०० | |
| ११ | संरक्षक प्रमाणित गर्ने तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारीस गर्ने | ४०० | |
| १२ | कागज र मञ्जुरीनामा प्रमाणित गर्ने | २०० | |
| १३ | आर्थिक अवस्था कमजोर तथा विपन्नता प्रमाणित वा आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित | कमजोर निशुल्क र बलियो ३०० | |
| १४ | नागरीकता तथा नागरीकताको प्रतिलिपि लिन को लागी सिफारीस गर्ने । | २०० | |
| १५ | वहालकर को लेखाजोखा प्रमाणित | २०० | |
| १६ | मोही लगत कट्टी को सिफारीस | ५०० | |
| १७ | घर जग्गा करको लेखाजोखा गरी सिफारीस गर्ने | १०० | |
| १८ | व्यापारव्यवसाय बन्द भएको वा हुदै नभएको सिफारीस | ५०० | |
| १९ | मिलापत्रको कागजात गराउने निवेदन दर्ता सिफारीस | २०० | |
| २० | निशुल्क वा सशुल्क स्वस्थ्य उपचारको | ५० | |

| | | | |
|----|--|------|--|
| | सिफारीस गर्ने | | |
| २१ | समुह दर्ता सिफारीस | २०० | |
| २२ | घरवाटो सिफारीस | ५०० | |
| २३ | पुर्जामा घरकायम गर्ने सिफारीस | ५०० | |
| २४ | नाम वा जन्म मिति संसोधन सिफारीस | २०० | |
| २५ | जग्गाधनि पुर्जा हराएको सिफारीस | ३०० | |
| २६ | कित्ताकाट गर्ने सिफारीस | २०० | |
| २७ | नामसारी गर्ने सिफारीस | ५०० | |
| २८ | जग्गाको हक सम्बन्धमा सिफारीस | ४०० | |
| २९ | मृतक सँगको नाता प्रमाणित तथा सर्जिमिन सिफारीस | ४०० | |
| ३० | उद्योग ठाउसारी गर्ने सिफारीस | ५०० | |
| ३१ | जिवित रहेको सिफारीस | ३०० | |
| ३२ | विद्यालय खोल्ने सिफारीस | १००० | |
| ३३ | विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारीस | १००० | |
| ३४ | विद्यालय ठाउसारी गर्न सिफारीस | १००० | |
| ३५ | पालनपोषणको लागी सिफारीस | २०० | |
| ३६ | वैवाहिक अंगिकृत नागरीकता सिफारीस | १००० | |
| ३७ | कोठा खोल्न रोहवरमा बस्न सिफारीस | ३०० | |
| ३८ | प्रचलित कानुन बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारीस वा प्रमाणित गर्ने | ५०० | |
| ३९ | उल्लेखित काममा थप मुचुल्का गर्नु परेमा | ५०० | |
| ४० | | | |

दण्ड जरीवाना

| क्र.सं. | विवरण | पारीत | कैफियत |
|---------|--|-----------|--------|
| ४ | नक्सापास नगरी ४ लेवल सम्म भौतिक संरचना निर्माण गरेमा | ३५% थप | |
| ५ | नक्सापास नगरी ४ लेवल भन्दा माथी निर्माण गरेमा | ७०% थप | |
| ६ | नक्सापास नगरी घर निर्माण सम्पन्न गरेमा | सतप्रतिशत | |

| | | | |
|----|--|----------|---|
| ७ | निश्चित तला वा निश्चित डिजाईनको अनुमति लिई सो भन्दा फरक वनि वा फरक घर निर्माण गर्नेको हकमा | ७० % थप | यस जरीवानामा नक्सा संसोधनको जरीवाना समावेश गरीएको छैन |
| ८ | घर निर्माण गर्दा सामान जथाभावि सडकमा थुपार्नेका हकमा | १००-१५०० | सडकमा पुगेको अवरोध र क्षेत्रीको आधारमा |
| ९ | निशेधित क्षेत्रमाफोहोर फाल्नेको हकमा | ५००-५००० | निषेधित क्षेत्र गा.पा ले तोक्ने सो को सुचना स्थानीय रेडियो र पत्रपत्रिका तथा माइकिंग मार्फत जनकारी गराईने छ । |
| १० | निशेधित प्लाष्टिक प्रयोग गर्नेको हकमा | १००-५०० | प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा भएपछि कार्यान्वयन हुने र सो को सुचना स्थानीय रेडियो पत्रपत्रिका मार्फत गराईने |
| ११ | जथाभावि चौपाया छोडनेका हकमा | १०-५० | गाई भैस र गोरुको ५० जरीवाना र खाना खर्च रु १०० प्रतिदिन वाछवाछी,पाडापाडी को हकमा ५०% र उल्लेखित वाहेकका चौपायामा ३० र खाना खर्च १५ प्रतिदिन पाठापाडी लगाएतको हकमा सोको ५०% ७ दिन भित्र सम्म चौपाया लिन नआएमा गा.पा ले लिलाम गर्ने छ । |
| १२ | मलपोतको हकमा १ वर्ष सम्मको वक्यौताका लागी | | गा.पा हुनुपुर्व देखि आ.व ०७३/०७४ सम्मका लागी प्रति कट्टा रु १० का दरले |
| १३ | मालपोतको हकमा २ वर्ष सम्मको वक्यौताको लागी | | गा.पा हुनुपुर्व देखि आ.व ०७३/०७४ सम्मका लागी प्रति कट्टा रु १५ का दरले |
| १४ | मालपोतको २ वर्ष भन्दा भन्दा वढी वक्यौताका लागी | | गा.पा हुनुपुर्व देखि आ.व ०७३/०७४ सम्मका लागी प्रति कट्टा रु २० का दरले |
| १५ | व्यवसायको वक्यौता | | ३ वर्ष भन्दा माथीका वक्यौता को हकमा १५% जरीवाना लाग्ने छ । |

व्यक्तिगत घटना दर्ता

व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन २०३३ र नियमावलि २०३४ वमोजिम यस क्षेत्र भित्रका व्यक्तिगत घटना दर्तावाट आउने राजश्व स्थानीय निकायले आफै प्रयोग गर्न सकिने गरि भएका व्यवस्था वमोजिम देहाय वमोजिमका घटना दर्तामा देहाय वमोजिमको रकम शुल्क लगाउने लाग्नेछ ।

| १ | ३५ दिन भित्र दर्ता भएका व्यक्तिगत घटना दर्ता | निशुल्क | कैफियत |
|---|--|---------|--------|
| २ | ३५ दिन नाघि दर्ता हुने व्यक्तिगत घटना दर्ता | | |
| | १ जन्म दर्ता रु. | ५० | |
| | २ मृत्यु दर्ता रु. | ५० | |

| | | |
|---|-----------------|----|
| ३ | विवाह दर्ता रु. | ५० |
|---|-----------------|----|

| क्र.स. | विवरण | पारीत | कैफियत |
|--------|---|---------|--------|
| १ | कृषि समुह दर्ता | ५००१०० | |
| २ | कृषि समुह नविकरण दस्तुर | २५०१०० | |
| ३ | जग्गा नापी कार्य दस्तुर | ५९०१०० | |
| ४ | व्यवसाय नविकरण शुल्क | ५००१०० | |
| ५ | व्यवसाय दर्ता शुल्क | ५००१०० | |
| ६ | सूचि दर्ता | ३००१०० | |
| ७ | चार किल्ला प्रमाणित व्यक्तिगत (५ कित्ता सम्म) | २५०१०० | |
| ८ | प्रति कित्ता थप | ५०१०० | |
| ९ | चार किल्ला प्रमाणित व्यवसायिक प्रयोजन | ९०००१०० | |

| | | | |
|---|--------------------------|----|--|
| ४ | वसाई सराई रु. | ५० | |
| ५ | सम्बन्ध विच्छेदको रु. | ५० | |
| ६ | प्रतिलिपि सवै घटनाको रु. | ५० | |

अन्य शुल्क तथा दस्तुरहरु